

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	बंशीधर योगी (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	07 / 2020
सरकार	बनाम	शेरसिंह पुत्र सूरतसिंह जाति-अहीर, निवासी- धिंगड़िया

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 24.01.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल शेरसिंह पुत्र सूरतसिंह, जाति-अहीर, निवासी-धिंगड़िया द्वारा रोही मौजा धिंगड़िया की राजकीय भूमि ख.नं. 66 के कुल रकबा 23.02 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.40 है० भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ख.नं. 66 पर गैर सायल का कोई कब्जा नहीं है। अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार है। ख.नं. 66 का सीमाज्ञान करने की मांग की है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 120 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के वृष्ठ सं. 24 पर
वर्ष 2019-20 में रूपये 120/- कायम कि।

राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़